

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें


मध्यप्रदेश

क्रमांक / 03 / प.क. / स्थापना / 2015 / 480

भोपाल, दिनांक 02.06.2015

संशोधन-आदेश

संचालनालय के आदेश क्रमांक / 03 / प.क. / स्थापना / 2015 / 455 दिनांक 29.05.2015 द्वारा जारी पदोन्नति आदेश के सरल क्रमांक 15 में उल्लेखित श्रीमती मंजु श्रीवास्तव, महिला पर्यवेक्षक उमरिया की सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ब्यौहारी जिला शहडोल में की गयी पदस्थापना में आंशिक संशोधन करते हुये श्रीमती मंजु श्रीवास्तव की पदस्थापना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ब्यौहारी जिला शहडोल के स्थान पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जैतहरी जिला अनूपपुर की जाती है।


संचालक प.क. 26/15


संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 02.06.2015

पृ.0 क्रमांक / 03 / प.क. / स्थापना / 2015 / 481

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल।
2. निज सहायक, माननीय राज्य मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल।
3. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म0प्र0 भोपाल।
4. अपर संचालक, एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय भोपाल।
5. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं रीवा।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल मध्यप्रदेश।
7. जिला कोषालय अधिकारी, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल मध्यप्रदेश।
8. संबंधित कर्मचारियों की ओर भेजकर लिखा जाता है कि उनकी वरिष्ठता नवीन जिले में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से प्रभावी मानी जावेगी।
9. आदेश नस्ती।


संचालक प.क. 26/15

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश


क्रमांक/03/प.क./स्थापना/2015/ 455

भोपाल, दिनांक 24-05-15

आदेश

संचालनालय स्तर पर दिनांक 25.03.15 को आयोजित राज्य स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित समाज शास्त्र विषय लेकर स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण प्रदेश में कार्यरत बहुउद्देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक महिला/पुरुष को खण्ड विस्तार प्रशिक्षक के पद पर वेतनमान रुपये (5200-20200 + ग्रेड पे 2800) में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत करते हुये उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर अस्थाई तौर से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है:-


क्रं.	वरि. क्रं.	नाम	प्रवर्ग	वर्तमान पदस्थापना स्थल का जिला	नवीन पदस्थापना स्थल सा.स्वा.केन्द्र अनुसार
01	06	श्री कैलाश चंद्र राठौर	अ.जा.	रतलाम	बाजना, रतलाम
02	126	श्रीमती कमला सिंह	अना.	शहडोल	सिंगपुर, शहडोल
03	363	श्रीमती चंद्रकला कोठारी	अना.	मंदसौर	मल्हारगढ़, मंदसौर
04	391	श्रीमती मानवती मांझी	अना.	उमरिया	पाली, उमरिया
05	454	श्रीमती आर्यट सोनकेसरिया	अना.	सिवनी	छपारा, सिवनी
06	461	श्रीमती सपना साहू	अना.	मण्डला	मोहगांव, मण्डला
07	485	श्रीमती शकुन्तला कुमावत	अना.	मंदसौर	मेलखेडा, मंदसौर
08	487	श्रीमती कल्पना जैन	अना.	बैतूल	भैसदेही, बैतूल
09	508	श्रीमती पूर्णिमा शर्मा	अना.	शिवपुरी	पोहरी, शिवपुरी
10	510	श्रीमती भगवती चौरसिया	अना.	विदिशा	त्यौदा, विदिशा
11	713	श्री रणजीत सिंह मालवीय	अ.जा.	देवास	खातेगांव, देवास
12	716	श्रीमती प्रेमलता साहू	अना.	राजगढ़	लटेरी, विदिशा
13	723	श्रीमती शाहीदा खातून	अना.	राजगढ़	बोडा, राजगढ़ दि. 01. 08.15 से
14	731	श्री राधेश्याम चौहान	अ.जा.	देवास	बागली, देवास
15	827	श्रीमती मंजू श्रीवास्तव	अना.	उमरिया	ब्यौहारी, शहडोल
16	888	श्री सुधीर अग्रवाल	अना.	रायसेन	बेगमगंज, रायसेन
17	889	श्री बालारामअहिरवाल	अ.जा.	उमरिया	बण्डा, सागर
18	994	श्रीमती मंजूला सक्सेना	अना.	देवास	उन्हेल, उज्जैन
19	1009	श्री बने सिंह भिलाला	अजजा	गुना	मोहनबडोदिया, शाजापुर
20	1037	श्रीमती सुगना वर्मा	अना.	मंदसौर	संधारा, मंदसौर
21	1045	श्रीमती इसरतजहाँ सैयत	अना.	रतलाम	बिलपांक, रतलाम



22	1046	श्रीमती निर्मला सोनी	अना.	रतलाम	खारवाकला, रतलाम
23	1049	श्रीमती इन्द्रा बैरागी	अना.	मण्डला	घुघरी, मण्डला
24	1069	श्रीमती चंद्रकला डोंगरे	अ.जा.	बैतूल	घोडाडोंगरी, बैतूल
25	1145	श्री गोवर्धन परसारिया	अ.जा.	देवास	ताजपुर, उज्जैन
26	1147	श्री रामचरण भवरासिया	अ.जा.	शाजापुर	माकडोन, उज्जैन
27	1148	श्री राम सिंह खराडी	अजजा	रतलाम	पिपलौदा, रतलाम
28	1152	श्री अशोक खाकरिया	अजजा	देवास	खातेगांव, देवास दि. 01.07.15 से
29	1155	श्री बसंतीलाल माइडा	अजजा	रतलाम	बर्डियागोयल, रतलाम
30	1162	श्री यादवेन्द्र सिंह माण्डवे	अजजा	देवास	चरगवा, जबलपुर
31	1171	कु० सुनीता पाल	अना.	रतलाम	घटिया, उज्जैन
32	1288	श्री गोवर्धन वाडिया	अजजा	डिण्डोरी	शहपुरा, डिण्डोरी
33	1301	श्री वी.के.मरावी	अजजा	मण्डला	नारायणगंज, मण्डला
34		श्री तीजूलाल उडके	अजजा	सिवनी	धनौरा, सिवनी
35	1401	श्री सुरेश टेकाम	अजजा	बैतूल	ग्यारसपुर, विदिशा
36	1430	श्री हरिराम कुमरे	अजजा	बैतूल	पिडरईकला, छिंदवाडा
37	1431	श्री जेवियर तिर्की	अजजा	रायसेन	उदयपुरा, रायसेन

1. मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के तहत निर्धारित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिये आरक्षण संबंधि निर्देशों का पालन किया गया है।
2. पदोन्नत कर्मचारियों में से किसी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जॉच/आपराधिक प्रकरण लंबित है अथवा निलंबित है, तो उन्हें कार्यमुक्त न करते हुये उसकी सूचना तत्काल संचालनालय को भेजे।
3. पदोन्नति पद एवं स्थान पर आदेश प्राप्ति के उपरांत 15 दिवस की अवधि में पदोन्नत कर्मचारी को अपना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। अन्यथा यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
4. संबंधित कर्मचारियों के कार्यमुक्त होने/कर्तव्य पर उपस्थित होने की सूचना संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संचालनालय को 07 दिवस में आवश्यक रूप से भेजना होगा।
5. पदोन्नत कर्मचारियों के जाति एवं निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों एवं मूल अभिलेखों का सत्यापन कराये जाने की पूर्ण रूपेण जिम्मेदारी जहां उन्हें पदस्थ किया गया है के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की होगी। परीक्षण उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करावे। यदि कर्मचारी संबंधित संवर्ग के अधीन न आता हो अथवा प्रमाणपत्र संदिग्ध लगता है तो उन्हें कर्तव्य पर उपस्थित न कराते हुये उसकी सूचना तत्काल संचालनालय को भेजे।
6. जिन महिला पर्यवेक्षकों की पदोन्नति खण्ड विस्तार प्रशिक्षक के पद पर हुई है। उनसे कार्यभार कराये जाने के पूर्व लिखित में सहमति प्राप्त कर ली जाये कि वे राज्य शासन के भर्ती/पदोन्नति नियमानुसार 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु में सेवा निवृत्त किये जाने पर सहमत है।


स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित


 संचालक प.क. 29/5/15
 संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
 मध्य प्रदेश

क्रमांक/03/प.क./स्थापना/2015/ ५४६
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 29-05-15

1. सचिव मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल मध्यप्रदेश।
2. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/मिशन संचालक, एनएचएम स्वास्थ्य संचालनालय भोपाल।
3. अपर संचालक, अविज्ञप्त/एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय भोपाल।
4. अध्यक्ष राज्य स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति, स्थानीय कार्यालय।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाये स्थानीय कार्यालय।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्यप्रदेश।
7. समस्त जिला कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।
8. समस्त संबंधित कर्मचारियों की ओर पालनार्थ।


संचालक प.क. 29/5/15
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश